HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8154/2026

Anil S/o Arjun Singh, Aged About 21 Years, R/o Kheda Jat, Police Station Fatehpur Sikri District Agra, Uttarpradesh.
(At Present Confined In Centre Jail Jaipur).

----Accused-Applicant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Applicant(s)	:	Mr. Vinod Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
(VACATION JUDGE)

Order

05/06/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त **अनिल पुत्र अर्जुन सिंह** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना–मुहाना, जिला–जयपुर शहर (दक्षिण)** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–1145/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **310(2) व 324(2) भारतीय न्याय संहिता, 202**3 में पेश किया गया है।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 127(2), 310(2), 310(5), 311, 317(3), 313, 324(2) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि पूर्व में अनिल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–7661/2025 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसे गिरफ्तार न किए जाने का आदेश पारित किया गया था। दिनांक 28.03.2026 को पारित आदेश की अनुपालना में प्रार्थी/अभियुक्त अनिल ने विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया,

किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि मामले में अन्य सहअभियुक्तगण दीपक बलई, अंकित मीणा, रोहित सैनी व लोकेश की जमानत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.04.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त अनिल का मामला जमानत पर रिहा किए गए अन्य सहअभियुक्तगण के मामले से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त 21 वर्षीय नवयुवक है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.04.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया, तब से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दीपक बलई, अंकित मीणा, रोहित सैनी व लोकेश की जमानत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त अनिल का मामला जमानत पर रिहा किए गए अन्य सहअभियुक्तगण के मामले से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **अनिल पुत्र अर्जुन सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि

प्रार्थी–अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–1145/2024, पुलिस थाना–मुहाना, जिला–जयपुर शहर (दक्षिण)** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु प्रार्थी–अभियुक्त **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **पचास–पचास हजार रूपये** की दो तस्दीकशुदा सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी–अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी–अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR), V.J.

86/KESHAV VERMA